केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि अधिनियम, 2000

धाराओं का क्रम

धाराएं

अध्याय 1

प्रारंभिक

- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।
- 2. परिभाषाएं ।

अध्याय 2

केन्द्रीय सड़क निधि

- 3. उपकर का उद्गहण और संग्रहण।
- 4. भारत की संचित निधि में उपकर का जमा किया जाना।
- 5. केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान और ऋण ।
- 6. केन्द्रीय सड़क निधि की स्थापना।
- 7. निधि का उपयोग ।
- 8. लेखा और संपरीक्षा।

अध्याय 3

केन्द्रीय सड़क निधि का प्रबंध

- 9. निधि का प्रशासन करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति।
- 10. केन्द्रीय सरकार के कृत्य।
- 11. निधि के राज्य के अंश का प्रशासन।
- 12. नियम बनाने की शक्ति।
- 13. इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना।
- 14. विद्यमान केन्द्रीय सड़क निधि से संबंधित उपबंध।
- 15. निरसन और व्यावृत्ति ।

अनुसूची ।

1[केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना] निधि अधिनियम, 2000

(2000 का अधिनियम संख्यांक 54)

[27 दिसम्बर, 2000]

²[राष्ट्रीय राजमार्गों, रेल परियोजनाओं के विकास और अनुरक्षण, रेल, राज्य और ग्रामीण सड़कों और अन्य अवसंरचना की सुरक्षा में सुधान के लिए और इन प्रयोजनों के लिए पेट्रोल के रूप में सामान्यत: ज्ञात मोटर स्पिरिट, उच्च गति डीजल तेल पर उपकर के रूप में उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क का उद्गहण तथा संग्रहण करने] और उससे संबंधित अन्य विषयों के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

- **1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ**—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम ¹[केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना] निधि अधिनियम, 2000 है।
 - (2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।
 - (3) इस अधिनियम में, जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, यह 1 नवम्बर, 2000 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।
 - 2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
 - (क) "नियत दिन" से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन निधि स्थापित की गई है;
 - (ख) "उपकर" से, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए पेट्रोल के रूप में सामान्यतः ज्ञात मोटर स्पिरिट और उच्च गति डीजल तेल पर अधिरोपित और संगृहीत उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क की प्रकृति का शुल्क अभिप्रेत है;
 - (ग) "निधि" से, धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित केन्द्रीय ³[सड़क और अवसंरचना निधि] अभिप्रेत है;
 - (घ) "राष्ट्रीय राजमार्ग" से, वे राजमार्ग अभिप्रेत हैं जो राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं या कोई अन्य राजमार्ग जो उक्त अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (2) के अधीन राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित हैं:

4* * * * * * * *

(च) "विहित" से, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है।

अध्याय 2

⁵[केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि]

- **3. उपकर का उद्ग्रहण और संग्रहण**—(1) उस तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, ⁶[अनुसूची 1] के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक मद पर, जो भारत में उत्पादित या आयातित होती है, और—
 - (क) किसी परिष्करणी या कारखाने या किसी निकाय से हटाई जाती है; या

 $^{^1}$ 2018 के अधिनियम सं० 13 की धारा 206 द्वारा "केन्द्रीय सड़क" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

 $^{^{2}}$ 2018 के अधिनियम सं० 13 की धारा 206 द्वारा प्रतिस्थापित ।

 $^{^3}$ 2018 के अधिनियम सं० 13 की धारा 206 द्वारा "सड़क निधि" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

 $^{^4}$ 2018 के अधिनियम सं० 13 की धारा 206 द्वारा लोप किया गया।

 $^{^5}$ 2018 के अधिनियम सं० 13 की धारा 206 द्वारा प्रतिस्थापित ।

 $^{^{6}}$ 2018 के अधिनियम सं० 13 की धारा 206 द्वारा "अनुसूची" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(ख) उस व्यक्ति द्वारा, जिसके द्वारा ऐसी मदें उत्पादित या आयातित की जाती हैं, किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित कर दी जाती हैं,

उन दरों पर ¹***, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विहित करे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपकर के रूप में उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क उद्ग्रहीत और संगृहीत किया जाएगा :

2* * * * * * *

³[परंतु सामान्य रूप से ज्ञात पैट्रोल और उच्च गति डीजल तेल पर वित्त अधिनियम, 2018 की, यथास्थिति, धारा 109 की उपधारा (1) या धारा 110 की उपधारा (1) के अधीन उद्गृहीत अतिरिक्त सीमाशुल्क और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क को, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, उनके उद्ग्रहण की तारीख से, उपकर माना जाएगा और उनके आगमों को निधि में जमा किया जाएगा ।]

- (2) किसी भी मद पर उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय प्रत्येक उपकर ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसके द्वारा ऐसी मद का उत्पादन किया गया है, संदेय होगा और आयातों की दशा में, उपकर, इस प्रकार आयातित और अनुसूची में विनिर्दिष्ट मदों पर अधिरोपित और संगृहीत किया जाएगा।
- (3) ¹[अनुसूची 1] में विनिर्दिष्ट मदों पर उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय उपकर, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उन मदों पर उद्ग्रहणीय उपकर या शुल्क के अतिरिक्त होगा ।
- (4) यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध तथा सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध जिनके अन्तर्गत शुल्कों के प्रतिदाय और उनसे छूट से संबंधित उपबंध भी सम्मिलित हैं, यथाशक्य इस धारा के अधीन उद्गहणीय उपकर के उद्गहण और संग्रहण के संबंध में, लागू होंगे और इस प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 और सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के उपबंधों का, ऐसा प्रभाव होगा मानो पूर्वोक्त अधिनियमों में [अनुसूची 1] में विनिर्दिष्ट सभी मदों पर उपकर के उद्गहण के लिए उपबंध किया गया हो।
- 4. भारत की संचित निधि में उपकर का जमा किया जाना—धारा 3 के अधीन उद्गृहीत किए गए उपकरों के आगम पहले भारत की संचित निधि में जमा किए जाएंगे और केन्द्रीय सरकार, यदि संसद् इस निमित्त विधि द्वारा किए गए विनियोग द्वारा, ऐसा उपबंध करे, ऐसे आगम संग्रहण के खर्चों की कटौती के पश्चात् इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अनन्य रूप से उपयोग किए जाने के लिए निधि में समय-समय पर, जमा कर सकेगी।
- 5. केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान और ऋण—केन्द्रीय सरकार, संसद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए समुचित विनियोग के पश्चात् निधि में, ऐसी धनराशियां जैसी कि केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझे, अनुदान या ऋणों के माध्यम से जमा कर सकेगी।
- **6. केन्द्रीय ³[सड़क और अवसंरचना निधि] की स्थापना**—(1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, उस तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे, ''केन्द्रीय ³[सड़क और अवसंरचना निधि''] नामक एक निधि स्थापित की जाएगी।
 - (2) निधि, केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण के अधीन होगी और उसमें निम्नलिखित जमा किए जाएंगे,—
 - (क) धारा 4 या धारा 5 के अधीन संदत्त की गई कोई धनराशियां;
 - (ख) उपकर का ऐसा अव्ययित भाग जो राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के प्रयोजनों के लिए पहले से ही उद्गृहीत किया जा रहा है;
 - (ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने कृत्यों का पालन करने या इस अधिनियम के प्रशासन में वसूल की गई राशियां, यदि कोई हों;
 - (घ) राज्य सड़कों के विकास और अनुरक्षण के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान की गई कोई निधि।
 - (3) निधि में जमा का अतिशेष वित्तीय वर्ष के अंत में व्यपगत नहीं होगा।
 - **7. निधि का उपयोग**— 4 [(1)] निधि का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाएगा,—
 - (i) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण;
 - (ii) ग्रामीण सड़कों का विकास;

 $^{^{1}}$ 2018 के अधिनियम सं० 13 की धारा 206 द्वारा लोप किया गया।

 $^{^2}$ 2018 के अधिनियम सं० 13 की धारा 206 द्वारा "परंतु" का लोप किया गया ।

 $^{^3}$ 2018 के अधिनियम सं० 13 की धारा 206 द्वारा प्रतिस्थापित ।

 $^{^4}$ 2018 के अधिनियम सं० 13 की धारा 206 द्वारा "उपधारा (1)" के रूप में पुन:संख्यांकित ।

- (iii) अन्य राज्य सड़कों का विकास और अनुरक्षण, जिसके अंतर्गत अंतरराज्यिक और आर्थिक रूप से महत्व की सड़कें भी हैं:
- ¹[(iv) पुलों के माध्यम से रेलपथ के नीचे या ऊपर सड़कों का संनिर्माण और ऐसी रेल-सड़क क्रासिंगों पर, जहां कोई व्यक्ति तैनात नहीं हैं, सुरक्षा संकर्मों का परिनिर्माण, नई लाइनों का बिछाया जाना, विद्यमान स्टैंडर्ड लाइनों को गेज लाइनों में संपरिवर्तित करना और रेल लाइनों का विद्युतीकरण; और
 - (v) अन्य अवसंरचना परियोजनाओं को आरंभ करना।

स्पष्टीकरण—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, "अवसंरचना परियोजनाओं" पद से, अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट परियोजनाओं का प्रवर्ग और अवसंरचना उप-सेक्टर अभिप्रेत है।]

- ²[(2) केंद्रीय सरकार, अवसंरचना परियोजनाओं के विकास की अपेक्षा पर निर्भर करते हुए और यदि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन समझती है, तो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा परियोजनाओं के प्रवर्ग औश्र अवसंरचना उप-सेक्टरों से संबंधित अनुसूची 2 को संशोधित कर सकेगी।
- (3) इस अधिनियम के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखी जाएगी। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगी। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगी। किन्तु अधिसूचना के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।]
- ²[**7क. समिति द्वारा निधि के अंश का प्रमाणपत्र**—अवसंरचना परियोजनाओं में से प्रत्येक को प्रभावित किए जाने वाले निधि के अंश को, केंद्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा गठित समिति जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री द्वारा की जाएगी, परियोजना की पूर्विकताओं पर निर्भर करते हुए अंतिम रूप दिया जाएगा।]
- **8. लेखा और संपरीक्षा**—(1) केन्द्रीय सरकार के संबंधित विभाग उचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेंगे और लाभ और हानि लेखा सहित वार्षिक लेखा विवरण तैयार करेंगे और निधि के अपने अंश के आबंटनों की बाबत ऐसे प्ररूप में तुलनपत्र तैयार करेंगे जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से, केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं।
- (2) निधि के लेखे की संपरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अन्तरालों पर, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, की जाएगी।

अध्याय 3

¹[केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि का प्रबंध]

- 9. निधि का प्रशासन करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति— 1 [(1) केंद्रीय सरकार के पास निधि का प्रशासन करने की शक्ति होगी और वह—
 - (क) सड़कों और अन्य सवसंरचना संबंधी परियोजनाओं में निवेश के संबंध में ऐसे निर्णय करेगी, जिन्हें वह आवश्यक समझे;
 - (ख) ऐसे उपाय करेगी, जो सड़कों और अन्य अवसंरचना के विकास और अनुरक्षण के लिए आवश्यक निधि जुटाने के लिए आवश्यक हो:]
 - **10. केन्द्रीय सरकार के कृत्य**- 3 [(1)] केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगी-
 - (i) ¹[संड़कों और अन्य अवसंरचना] के विकास और अनुरक्षण के लिए आबंटित निधि के अंश का प्रशासन और प्रबंध;
 - (ii) निधि से आबंटित सभी राशियों का समन्वय और उनका पूर्ण रूप से तथा समय से उपयोग;

TA A A A A A

⁵[(iv) राज्य सड़क परियोजनाओं, जिसके अंतर्गत अंतरराज्यिक और आर्थिक महत्व की परियोजनाएं भी हैं, के विकास और अनुरक्षण हेतु निधियों के आबंटन के लिए मानदंड तैयार करना;]

 $^{^{1}}$ 2018 के अधिनियम सं० 13 की धारा 206 द्वारा प्रतिस्थापित ।

 $^{^2}$ 2018 के अधिनियम सं० 13 की धारा 206 द्वारा अंत:स्थापित ।

 $^{^3}$ 2005 के अधिनियम सं० 18 की धारा 121 द्वारा पुन:संख्याकित ।

 $^{^4}$ 2018 के अधिनियम सं० 13 की धारा 206 द्वारा लोप किया गया।

⁵ 2019 के अधिनियम सं० 23 की धारा 186 द्वारा प्रतिस्थापित ।

²[(vi) राष्ट्रीय राजमार्गों और अन्य अवसंरचना परियोजनाओं के विकास और अनुरक्षण के लिए निधियों के आबंटन हेतु मानदंड तैयार करना;]

- 4 [(2) उपधारा (1) के खंड (viii) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार 1 मार्च, 2005 से वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 1998 (1998 का 21) की यथास्थिति, धारा 103 की उपधारा (1) और धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उद्गृहीत पैट्रोल पर अतिरिक्त सीमाशुल्क और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क तथा वित्त अधिनियम, 1999 (1999 का 27) की, यथास्थिति, धारा 116 की उपधारा (1) और धारा 133 (1) के अधीन उद्गृहीत उच्च गित डीजल पर अतिरिक्त सीमाशुल्क और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क से दो रुपए की रकम में से पचास पैसे को, जैसी वित्त अधिनियम, 2005 की धारा120 द्वारा अनन्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास और अनुरक्षण के लिए बढ़ाई गई हो, आबंटित करेगी।
- 11. निधि के राज्य के अंश का प्रशासन—5[(1) धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (iv) के अधीन तैयार किए गए मानदंड पर आधारित राज्य सड़कों के विकास और अनुरक्षण पर खर्च किए जाने वाली निधि का अंश ऐसी रीति में आबंटित किया जाएगा, जैसा कि धारा 7क में निर्दिष्ट समिति द्वारा विनिश्चय किया जाए]
- (2) विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में व्यय के लिए आबंटित निधि का भाग, केन्द्रीय सरकार द्वारा तब तक प्रतिधारित किया जाएगा जब तक यह व्यय के लिए वास्तव में अपेक्षित न हो ।
 - (3) यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि कोई राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन किसी समय—
 - (क) उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के भीतर मोटर यानों के विनियमन और नियंत्रण के लिए ऐसे कदम उठाने में असफल रहा है जिनकी केन्द्रीय सरकार सिफारिश करे; या
 - (ख) राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के भीतर व्यय के लिए, यथास्थिति, आबंटित या पुनः आबंटित निधि के किसी भाग के उपयोग में उसने युक्तियुक्त कारण के बिना विलंब किया है,

तो केन्द्रीय सरकार ऐसी राशि को समस्त रूप में या भागरूप में पुनः ग्रहण कर सकेगी जो उसने उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में व्यय के लिए किसी भी समय रखी थी ।

- (4) यथापूर्वोक्त, किसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के लेखा से केन्द्रीय सरकार द्वारा पुनः ग्रहण की गई सभी राशियां, व्यतिक्रमी राज्य और राज्य सरकारों तथा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के प्रत्यय लेखाओं के बीच, उस वित्तीय वर्ष से पूर्वगामी वर्ष के लिए जिसमें ऐसा पुनः आबंटन किया गया है, मूल आबंटन के अनुपात में पुनः आबंटित की जाएंगी।
 - (5) किसी आबंटन की बाबत निधि के जमा का अतिशेष, वित्तीय वर्ष के अंत में व्यपगत नहीं होगा।
- 12. नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।
- (2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—
 - (क) 1 [उस किस्म की परियोजनाएं] विनिर्दिष्ट करना जिनकी बाबत धारा 7 के अधीन निधियां संवितरित की जा सकेंगी;
 - (ख) वह रीति जिसमें लेखा रखा जाएगा और लेखाओं के वार्षिक विवरण तैयार किए जा सकेंगे जिसमें धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन लाभ और हानि लेखा तथा तुलनपत्र सम्मिलित है;

6* * * * * *

- (घ) कोई अन्य विषय जिसके लिए नियम बनाए जाने हैं या विहित किए जा सकेंगे।
- 13. इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना—इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए

^{े 2019} के अधिनियम सं० 23 की धारा 186 द्वारा लोप किया गया ।

² 2018 के अधिनियम सं० 13 की धारा 206 द्वारा प्रतिस्थापित ।

³ 2018 के अधिनियम सं० 13 की धारा 206 द्वारा लोप किया गया ।

^{4 2005} के अधिनियम सं० 18 की धारा 121 द्वारा अंत:स्थापित ।

 $^{^{5}}$ 2019 के अधिनियम सं० 23 की धारा 187 द्वारा प्रतिस्थापित ।

 $^{^{6}}$ 2019 के अधिनियम सं० 23 की धारा 188 द्वारा लोप किया गया ।

रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

- **14. विद्यमान केन्द्रीय ¹[सड़क और अवसंरचना निधि] से संबंधित उपबंध**—नियत दिन से, तारीख 13 मई, 1988 के संसदीय संकल्प द्वारा शासित केन्द्रीय सड़क निधि (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् विद्यमान निधि कहा गया है); इस अधिनियम के अधीन स्थापित की गई निधि समझी जाएगी और,—
 - (क) विद्यमान निधि के अधीन राष्ट्रीय ¹[राजमार्गों, राज्य सड़कों और अन्य अवसंरचना] के विकास और अनुरक्षण से संबंधित सभी स्कीमें जहां तक ऐसी स्कीमों का संबंध इस अधिनियम के अधीन स्कीमों से है, इस अधिनियम के अधीन मंजूर की जाने वाली स्कीम समझी जाएंगी;
 - (ख) विद्यमान निधि के अधीन उद्भूत सभी निधियां जिसके अंतर्गत आस्तियां और दायित्व भी हैं, इस अधिनियम के अधीन स्थापित निधि को अंतरित की जाएंगी।
- **15. निरसन और व्यावृत्ति**—(1) केन्द्रीय सड़क निधि अध्यादेश, 2000 (2000 का अध्यादेश सं० 5) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

 $^{^{1}}$ 2018 के अधिनियम सं० 13 की धारा 206 द्वारा प्रतिस्थापित ।

¹[अनुसूची] (धारा 3 देखिए)

| क्रम सं० | मद का नाम | 2*** |
|----------|--|------|
| (1) | (2) | *** |
| 1. | सामान्य रूप में पेट्रोल के नाम से ज्ञात मोटर स्पिरिट | *** |
| 2. | उच्च गति डीजल तेल | *** |

 1 2018 के अधिनियम सं० 13 की धारा 206 द्वारा पुन:संख्यांकित किया गया । 2 2018 के अधिनियम सं० 13 की धारा 206 द्वारा लोप किया गया ।

¹[अनुसूची 2] [धारा 7(1) देखिए]

| क्रम सं० | प्रवर्ग | अवसंरचना उप सेक्टर |
|----------|----------------|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | परिवहन | (क) सड़क और पुल; |
| | | (ख) पत्तन (जिसके अंतर्गत कैपिटल झगाई भी है;) |
| | | (ग) पोत प्रांगण (जिसके अंतर्गत तटीय नगरभाग, घुमावदार, बेसिन, घाट पर लगाने और डार्किंग सुविधा, जलांतरण मंच या पोत उत्थापक की आवश्यक विशेषताओं सहित प्लवमान या भू-आधारित सुविधा भी है और जो पोत निर्माण/मरम्मत/भंजन क्रियाकलाप करने के लिए स्व:पर्याप्त है;) |
| | | (घ) अंतरदेशीय जलमार्ग; |
| | | (ङ) विमानपत्तन; |
| | | (च) रेल पटरी, सुरंग, सेतु, पुल, टर्मिनल अवसंरचना जिसके अंतर्गत स्टेशन और पार्श्व वाणिज्यिक अवसंरचना भी आते हैं; |
| | | (छ) नगरीय पब्लिक परिवहन (नगरीय सड़क परिवहन की दशा में रोलिंग स्टाक के सिवाय;) |
| 2. | <u> কর্</u> जा | (क) विद्युत उत्पादन; |
| | | (ख) विद्युत पारेषण; |
| | | (ग) विद्युत वितरण; |
| | | (घ) तेल पाइपलाइन; |
| | | (ङ) तेल/गैस/द्रवित प्राकृतिक गैस (एलएनजी) भंडारण सुविधा (जिसके अंतर्गत कच्चे तेल का रणनीतिक भंडारण भी है); |
| | | (च) गैस पाइपलाइन (जिसके अंतर्गत नगर गैस वितरण नेटवर्क भी है;) |
| 3. | जल और स्वच्छता | (क) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन; |
| | | (ख) जल प्रदाय पाइपलाइन; |
| | | (ग) जल उपचार संयंत्र; |
| | | (घ) मल एकत्रण उपचार और व्ययन प्रणाली; |
| | | (ङ) सिंचाई (बांध, जलसरणी, तटबंध, आदि;) |
| | | (च) तूफान जल निकास प्रणाली; |
| | | (छ) गारे की पाइपलाइन; |
| 4. | संचार | (क) दूर-संचार (स्थिर नेटवर्क, जिसके अंतर्गत आष्टिक फाइबर/तार/केबल नेटर्वक भी है, जो ब्राडबैंड और इंटरनेट उपलब्ध कराते हैं;) |
| | | (ख) दूर-संचार टावर, |
| | | (ग) दूस-संचार और दूरभाषा सेवाएं; |

¹ 2018 के अधिनियम सं० 13 की धारा 206 द्वारा पुन:संख्यांकित किया गया ।

(1) (2)

और

सामाजिक वाणिज्यिक अवसंरचना

(क) शिक्षा संस्थाएं (पूंजी स्टाक;)

- (ख) खेल अवसंरचना (जिसके अंतर्गत खेलों और खेल संबंधी क्रियाकलापों में प्रशिक्षण/अनुसंधान के लिए अकादिमयों हेतु खेल स्टेडियम और अवसंरचना का उपबंध भी है;)
- (ग) अस्पताल (पूंजी स्टाक, जिसके अंतर्गत आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, पैरा मेडिकल प्रशिक्षण संस्थाएं और निदान केंद्र भी हैं);
- (घ) पर्यटन अवसंरचना,—(i) दस लाख से अधिक की जनसंख्या वाले नगरों के बाहर अवस्थित तीन सितारा या उच्चतर प्रवर्ग के वर्गीकृत होटल; (ii) रज्जू मार्ग और केबल कार:
- (ङ) औद्योगिक क्रियाकलाप, जैसे खाद्य पार्क, टैक्सटाइल पार्क, विशेष आर्थिक जोन, पर्यटन सुविधाओं और कृषि बाजारों वाले औद्योगिक पार्कों, अन्य पार्कों के लिए सामूहिक अवसंरचना;
- (च) कृषि और बागान उत्पाद के लिए पश्च-फसल भंडारण अवसंरचना, जिसके अंतर्गत शीत भंडारण भी है:
- (छ) टर्मिनल बाजार;
- (ज) मृदा-परीक्षण प्रयोगशालाएं;
- (झ) शीत श्रृंखला (जिसके अंतर्गत कृषि स्तरीय पूर्व शीतकरण के लिए, कृषि और सहयुक्त उत्पाद और मांस के परिक्षण या भंडारण के लिए शीत कक्ष सुविधा भी है;)
- (ञ) सस्ते आवास (जिसके अंतर्गत साठ वर्गमीटर से अनिधिक कारपेट क्षेत्र वाले आवास यूनिटों के लिए कम से कम पचास प्रतिशत फर्शी क्षेत्र अनुपात (एफ०ए०आर०)/फर्शी स्थान सूचकांक (एफ०एस०आई०) का उपयोग करने वाली आवास परियोजना भी है।)

स्पष्टीकरण—उपखंड (ञ) के प्रयोजनों के लिए, "कारपेट क्षेत्र" पद का वही अर्थ होगा, जो भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का 12) की धारा 2 के खंड (ट) में उसका है।